UPAD010073412023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–1 इलाहाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3313/2023

C.N.R.No. UPAD- 01007341-2023

जावेद मोहम्मद उर्फ पम्प पुत्र मोहम्मद अजहर निवासी–39सी/2ए/2 जे.के. आशियारा थाना करैली, प्रयागराज।

. ...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ......विपक्षी

दिनांक–05.06.2023

यह जमानत आवेदन–पत्र आवेदक/अभियुक्त **जावेद मोहम्मद उर्फ पम्प** की ओर से अपराध संख्या–120/2022 अन्तर्गत धारा–147/427 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना –खुल्दाबाद जिला प्रयागराज के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ अभियुक्त की पुत्री सौमैया फातिमा का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार सौरभ शुक्ला द्वारा संबधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गई कि दिनांकः 10 जून 2022 को शौकत अली स्थान पर हुए दंगों के बारे में है, जहॉ पर प्रयागराज स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लागू किये गये कैमरे, डंडे, नियंत्रक, कैमरा हाउसिंग पर पथराव करते हुये कुछ असामाजिक लोगों की पहचान की गई थी। यें सम्पत्तियॉ मैसर्स प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रयागराज उ.प्र. की है और इसका रख रखाव एमएसआई अर्था मैसर्स लार्सन एंड ट्रुबो लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पत्थरबाजी के कारण हुये नुकसान का विवरण आवश्यक कार्यवाही के लिये सूचीबद्ध किया गया है। Location Shaukat Ali Sl No.Damaged item Qty Rate Amount 1.PTZ camera 3 Rs 44914.00 PTZ camera Housing 1 Included 2. Fix Camera Rs.24605-00 Rs. 73815. 3. Fix Camera Housing 3 Included 4. Controller 1 3,64,877-00 RS 3,64877.00 5.Poles 1 Rs 30,897-00 6. Foundation Rs 12,500-00 7. Miscellaneous(LPU, Switch, Cables,Reworks and other Rs 97,997.00 Total 6,25,000-00.

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 32 घंटे के विलंब से दर्ज कराई गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नही है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नही है। आवेदक/अभियुक्त अटाला प्रदर्शन के पश्चात थाना खुल्दाबाद व थाना करैली द्वारा लगाये गये फर्जी मुकदमों में पिछले 11 माह से जिला कारागार देवरिया में निरूद्व है। पुलिस द्वारा उसके विरूद्व रंजिशन मुकदमे पंजीकृत किये गये है। आवेदक/अभियुक्त को महज राजनीतिक विद्धेषवश झूठा एवं रंजिशन फॅसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त 56 वर्ष का व्यक्ति है जो हाई ब्लडप्रेशर व डायबिटीज का मरीज है तथा नियमित रूप से इन्सुलिन का इस्तेमाल करता है। आवेदक/अभियुक्त सजायाफता नही है। जमानत प्रार्थनापत्र में अन्य अभिकथित तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त शातिर अपराधी है। अभियुक्त का कई मामलों का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गैर जमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त जमानत पर छूटने पर पुनः अपराध कारित करेगा।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पुलिस प्रलेखों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर अपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर धार्मिक द्वेष फैलाने की नियत से धर्म विशेष के प्रति आक्रोश पैदा करने के उददेश्य से सरकारी काम में बाधा डालते हुये लोक सम्पत्ति की क्षति करते हुये आगजनी कर पी.ए.सी. के ट्रक में आग लगा दिये जाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं शांतिभंग के आरोप अभिकथित है। अभियुक्त का संबधित थाने से 14 मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का उपरोक्त कृत्य अत्यंत गंभीर व समाज विरोधी है। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त

का पूर्व आचरण उसकी आपराधिक मनःस्थिति को अभिव्यक्त करता है। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा जमानत के उपरांत पलायित होने तथा साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता तथा अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नही है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **जावेद मोहम्मद उर्फ पम्प** की ओर से अपराध संख्या–120/2022 अन्तर्गत धारा–147/427 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना –खुल्दाबाद जिला प्रयागराज के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(बीरेन्द्र सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम,
इलाहाबाद।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 1569